रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1974/अग्रहायण 7, 1896

No. 286] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 1974/AGRAHAYANA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 28th November, 1974

No. DRAWBACK/PN-48/74.—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-item (iii) of item (B) of sub serial No. 4002 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Description of goods	Rate of drawback
(iii) Others not covered by Sub-Serial Nos. (i) and (ii) above but excluding those made of natural rubber.	3% (Three per cent) of the F.O.B. value of exports.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-48/74.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 4002 की मद (ख) की उप-मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
(iii) अन्य जो ऊपर उप-क्रमांक (i) और (ii) के अन्तर्गत नहीं आते किन्तु उनको छोड़कर जो प्राकृतिक रबर से बने होते हैं ।	निर्यातों के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत)

No. DRAWBACK/PN-49/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-item (a) and (c) of sub-serial No. 5006 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Description	Rate of Drawback
(a) Galvanised spokes without nipples and washers.	Rs. 377·50 (Rupees three hundred seventy seven and paise fifty only) per tonne.
b) Complete spokes with brass nipples and washers.	Rs. 71·00 (Rupees seventy one only) per quintal.

C. BHUJANAGASWAMY,
Jt. Director (Drawback).

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एम०-49/74.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० ग्र०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5006 की उप-मद (क) तथा (ग) और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
(क) जस्तीकृत तीलियां, निप्पलों एवं वाशरों के बिना ।	377.50 रु० (तीन सौ सतहत्तर रुपये और पचास पैसे मात्र) प्रति टन ।
(ख) पीतल की निप्पलों एवं वाशरों सहित सम्पूर्ण तीलियां ।	71.00 रु० (इकहत्तर रुपए मात्र) प्रति क्विंटल ।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिग्रदायगी) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974